पत्रांकः जी0एस0टी0/2018–19/ 1819072/ 962/वाणिज्य कर

कार्यालय– कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(जी.एस.टी. अनुभाग)

लखनऊः दिनांक 11, दिसम्बर, 2018

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1,

समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय– उत्तर प्रदेश एस0जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 122 तथा इसके समतुल्य केन्द्रीय जी0एस0टी0 अधिनियम की धारा 122 के अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में।

महोदय,

मुख्यालय के संज्ञान में यह तथ्य लाया गया है कि–मुख्यालय से जारी आदेश दिनांक 01.07.2017 से जी0एस0टी0 अधिनियम की विभिन्न धाराओं हेतु "Proper officer" नामित किये गये हैं, किन्तु धारा–122 के अन्तर्गत प्रॉपर ऑफिसर नामित नहीं किया गया है, जिसके कारण फील्ड के अधिकारियों में इस धारा के अन्तर्गत कार्यवाही के संबंध में भ्रम की स्थिति बनी हुयी है।

उक्त संदर्भ में स्थिति निम्नवत् स्पष्ट की जाती हैः–

1. उ0प्र0 एस.जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा–122 तथा इसके समतुल्य केन्द्रीय जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा–122 में विभिन्न प्रकार के अपराध एवं शास्तियाँ (Offences and penalties) अंकित हैं। अधिनियम की धारा–122 के अन्तर्गत "Proper officer" शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है।

2. अधिनियम की धारा–127 निम्नवत् हैः–

127. Power to impose penalty in certain cases-Where the proper officer is of the view that a person is liable to a penalty and he same is not covered under any proceedings under section 62 or section 63 or section 64 or section 73 or section 74 or section 129 or section 130, he may issue an order levying such penalty after giving a reasonable opportunity of being heard to such person.

धारा–127 के प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि धारा– 62, 63, 73, 74, 129 तथा 130 की कार्यवाही के समय ही इनसे संबंधित धारा–122 के अन्तर्गत प्रावधानित सुसंगत अर्थदण्ड की

कार्यवाही भी उक्त धाराओं के अन्तर्गत ही की जानी है। धारा–127 के प्रावधानों से यह भी स्पष्ट है कि धारा–122 में प्रावधानित जो अर्थदण्ड धारा– 62, 63, 73, 74, 129 तथा 130 से आच्छादित नहीं होंगे, उनके संबंध में अर्थदण्ड की कार्यवाही धारा–127 के अन्तर्गत की जानी है। उल्लेखनीय है कि मुख्यालय द्वारा जारी कार्यालय आदेश संख्या–278/जी0एस0टी0/2017–18/file no-118/राज्य कर दिनांक 01.07.2017 द्वारा उक्त सभी धाराओं के अन्तर्गत "Proper officer" नामित किये जा चुके हैं। धारा–122 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु अलग से "Proper officer" नामित किया जाना अपेक्षित नहीं है।

कृपया तदनुरूप अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत कराते हुये व्याप्त भ्रम की स्थिति का निवारण कराने का कष्ट करें।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर के अनुमोदन के उपरांत जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(विवेक कुमार)
एडीशनल कमिश्नर (जी0एस0टी0),
वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।